न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/48

1. रामभरोस आत्मज मूलचन्द जाति चमार मेघवंशी निवासी कृष्णाविहर देवली अरब रोड बोरखेडा, कोटा ।
2. देवलाल आत्मज मूलचन्द जाति चमार मेघवंशी निवासी खारे कुए के पास बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. नट्टी बाई बेवा चतुर्भुज जी जाति चमार मेघवंशी निवासी खारे कुए के पास बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रमेश कुमार
5. दीपक
6. राजेन्द्र कुमार
7. चन्द्र प्रकाश पिसरान श्री रामकुमार जाति मेघवंशी निवासीगण थर्मल क्वाटर्स सकतपुरा कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. स्वर्गीय रामलाल पुत्र श्री घांसीलाल जी जाति चमार मेघवंशी निवीस मकान नम्बर 163 मण्डी पाडा बोरखेडा कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गणेश आत्मज रामलाल ।
   1/2. महावीर आत्मज स्व0 रामलाल ।
   1/3. ज्याना पुत्री स्व0 रामलाल ।
   1/4. मैना पुत्री स्व0 रामलाल जाति चमार मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं0 34 बैरवा मौहल्ला बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/5. श्रीमती जमना बाई पत्नी स्व0 रामलाल जी चमार मेघवंशी निवासी वार्ड नं0 34 बैरवा मौहल्ला बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. स्वर्गीय देवी लाल पुत्र श्री घींसी लाल जी माता धन्नी बाई (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. अशोक कुमार
   2/2. रमेश
   2/3. गिर्राज
   2/4. राजेन्द्र पिसरान स्वर्गीय श्री देवीलाल जी जाति चमार मेघवंशी निवासीगण बैरबा मोहल्ला बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/5. रूकमणी बाई बेवा श्री देवीलाल जी जाति चमार मेघवंशी निवासी 572 मण्डीपाडा मन्ना कॉलोनी शमशान रोड बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीता बाई पुत्री घांसी लाल जी पत्नी श्री फूलचन्द जी जाति धन्नी बाई (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. गीता बाई पुत्री श्री फूलचन्द पत्नी श्री हीरालाल जी जाति चमार मेघवंशी निवासी 75 गणेश नगर मंदिर के पास नयाबरधा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

3/2. सुशीला बाई पुत्री श्री फूलचन्द पत्नी श्री फौरूलाल जाति चमार मेघवंशी निवासी मकान 315 बैरवा बस्ती खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

4. कान्ती बाई पुत्री घांसीलाल पत्नी श्री श्यामलाल माता धन्नि बाई जाति चमार मेघवंशी निवासी मकान नम्बर 315 बैरवा बस्ती खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. बद्री लाल अत्मज श्री चुन्नी लाल जाति चमार मेघवंशी निवासी बैरवा मोहल्ला बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वादपत्र पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 337 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 353 रकबा 1.34 हैक्टर कुल 04 किता की 2.52 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि के सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 202 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 228 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा कुल 02 किता की 15 बीघा थी जो जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 में चुन्नीलाल आत्मज श्री किशन लाल के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । प्रार्थीगण की माता धन्नी बाई पत्नी घांसी लाल पुत्री किशना उर्फ किशनलाल जी सीएडी में नौकरी करते थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है । किशना उर्फ किशनलाल के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र एवं धन्नीबाई के भाई चुन्नी लाल द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली । प्रार्थीगण की माता किशना उर्फ किशनलाल जी ही एक मात्र पुत्री होने व धूल्या उर्फ चुन्नी लाल व मूल्या उर्फ मूलचन्द की एकमात्र बहिन होने से समान अर्थात् 1/3 हिस्सा एवं कब्जा है जिसे प्रार्थीगण की माता व माता के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी (1/3 हिस्से) पर से बेदखल करने पर आमादा हैं तथा भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है यदि दौराने वाद उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । प्रार्थीगण का केस प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद ग्राम बोरखेडा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 336, 337, 338 व 353 की कुल 2.52 हैक्टर भूमि पर से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे उपयोग एवं उपभोग से नहीं रोके तथा भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन बेचान नहीं करे, कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं करे, भूखण्ड नहीं काटे और न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें । उक्त कार्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, उपयोग एवं उपभोग से नही रोके तथा भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान कृषि को अकृषि में परिवर्तन नहीं करे, भूखण्ड नहीं काटे । उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.12.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी में कोई हक एवं अधिकार नहीं है और न ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा है । अप्रार्थीगण अपीलान्ट उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के दादा जी किशना जी आत्मज अमरा जी के खाते में दर्ज थी । श्री किशना जी की सन् 1941–42 में मृत्यु हो गयी थी । उस समय उत्तराधिकार के सम्बन्ध में रियासती कानून सरकूलर नम्बर 3 सीगा माल राज कोटा प्रभावशील था । उक्त कानून की दफा 46 के अनुसार खातेदार किशना जी के पुत्र मूलचन्द एवं चुन्नीलाल उनके एक मात्र उत्तराधिकारी हुए । उक्त प्रावधान के अनुसार खातेदार पिता के फौत होने पर पुत्र जीवित होने की सूरत में पुत्री को कोई हक विरासत में प्राप्त नहीं होता था । अतः धन्नी बाई किशना जी की कानूनन उत्तराधिकारी नहीं थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

8. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल खाता मौजा बोरखेडा तहसील लाडपुरा संवत् 1996 से 1999 एवं नामान्तरकरण ग्राम बोरखेडा तहसील लांडपुरा की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण अपीलान्ट को ताफैसला दावा वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करने, रहन, बेचान नहीं करने, अकृषि कार्य में परिवर्तन नहीं करने एवं रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करने के लिए पाबन्द किया है । रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी में कोई हित–निहित नहीं है और न ही उनका इस आराजी पर कब्जा है । अपीलान्ट इस आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं इसके बावजूद रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के दादा किशन लाल के खाते में दर्ज थी । किशन लाल की मृत्यु वर्ष 1941–42 में हो चुकी है । कोटा जिले में उस समय उत्तराधिकार के सम्बन्ध में रियासती कानून सरकूलर नम्बर 03 प्रभावशील था । जिसके अनुसार किशन लाल की मृत्यु होने पर उनके पुत्र मूलचन्द एवं चुन्नीलाल उनके एक मात्र उत्तराधिकारी हुए । उक्त प्रावधान के अनुसार खातेदार पिता के फौत होने पर पुत्र जीवित होने की स्थिति में पुत्री को कोई हक विरासत में प्राप्त नहीं होता था । इस कारण रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक–हकूक नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं है न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना उनके पक्ष में है "। अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2013 (3) डब्ल्यूएलसी पेज 584, 2007 आरएलडब्ल्यू पेज 2900, आरआरटी 2013 (1) पेज 133, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, एआईआर 2010 (एससी) पेज 296 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि किशनलाल की मृत्यु वर्ष 1942 में नहीं हुई वरन् वर्ष 1965 में हुई है तनुसार रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है । रेस्पोडेन्टगण धन्नीबाई के वारिस हैं । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में प्लाट काटकर बेचान कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । यदि अप्रार्थीगण अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण को अपूर्णीय क्षति होगी । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण दिनांक 29.04.42, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 04 किता की 2.52 हैक्टर अप्रार्थीगण अपीलान्ट के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 280 की प्रति भी संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी खाता संख्या 105 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बरान चुन्नीलाल वल्द किशनलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति और नकल खाता संख्या संवत् 1992 से 1995 संलग्न है जिसके अनुसार आराजी माफी चाकरी बलाईगिरी और खातेदार किशनलाल बेटा अमरा के नाम दर्ज है । धन्नी बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है ।

12. अपील के साथ कुछ इकरारनामे, मुख्तारनामें एवं वसीयतनामें की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं और इसके अलावा कुछ अन्य फोटो भी पेश किये गये हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण ने यह कथन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी किशनलाल के खाते से अप्रार्थीगण जो कि उनके पुत्र चुन्नीलाल एवं मूलचन्द के वारिसान के खाते में आई है । किशन लाल की एक पुत्री धन्नी बाई भी थी जिनके वारिस प्रार्थीगण हैं । किशनलाल की मृत्यु वर्ष 1965 में हुई है तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का हित निहित है इस कारण उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । पत्रावली में अपीलान्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 482 की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है इस नामान्तरकरण की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी संलग्न है । इस नामान्तरकरण के अनुसार वर्ष 1942 में किशन लाल की मृत्यु हो चुकी है और इनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र चुन्नी लाल के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था । वर्ष 1942 में पक्षकारा के अधिकार एवं स्वत्व कोटा सरकूलर के अनुसार तय किये जा सकते थे न कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार और कोटा सरकूलर नम्बर 03 की धारा 46 के अनुसार किसी पुरूष खातेदार की मृत्यु हो जाने पर प्रथम श्रेणी के वारिस उनके पुत्र होंगे न कि पुत्रियॉ । ऐसी स्थिति में जब किशन लाल के दो पुत्र मौजूद थे और उनकी मृत्यु वर्ष 1942 में हो चुकी है तो उनकी पुत्री धन्नी बाई को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में विरासत में प्राप्त नहीं होता है । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है और न ही अपूर्णीय क्षति होने की संभावना उनके पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि की है । डब्ल्यूएलसी 2013 पेज 584, आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 2900 यहॉ चस्पा होती है ।

14. रेस्पोडेन्ट प्रार्थी यह कथन करते हैं कि किशन लाल की मृत्यु वर्ष 1965 में हुई है परन्तु उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जबकि पत्रावली पर जो नामान्तरकरण संख्या 482 की प्रमाणित प्रति संलग्न है उसके अनुसार किशनलाल की मृत्यु वर्ष 1942 में ही हो चुकी है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

16. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 निरस्त किया जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा